Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)
*****

Indira ParyavaranBhawan,
Aliganj, Jor Bag Road,
New Delhi- 110003.
Dated:09-10-2024

To

The Deputy Director General of Forests (Central),
Regional Office, Nagpur,
Maharashtra.

Sub: Proposal for dropping the application of diversion of additional 4.20 ha (in additional to already diverted 123.56 ha as a part of 502.00 ha) for surface use of forest land for Rajnagar OCP Coal Mining Project in favour of M/s SECL in Manendragarh Forest Division of Korea district of Chhattisgarh-regarding.

Sir,

I am directed to refer to State Government of Chhattisgarh's letter no. F 5-09/2007/10-2 dated 06.08.2024 on above subject submitting a letter for withdrawing the application of diversion of additional 4.20 ha (in addition to 123.56 ha as a part of 502.00 ha). the proposal for diversion of 4.20 ha was accorded Stage-1 approval vide Ministry's letter dated 26.11.2008.

In this regard, it is to inform that a period of 16 years has elapsed since the Stage-I approval, therefore the Regional Office, Nagpur which is incharge of Sub-office, Raipur is requested to inspect the complete area involved in the project and submit Site Inspection Report to the Ministry along with details of violation, if any for further necessary action in the matter.

Encl: As above.

Yours faithfully

Signed by
Suneet Bhardwaj
Date: 09-10-2024 16:19:32

Sd/-
(Suneet Bhardwaj)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. Sub-office, Raipur, Chhattisgarh.
2. Monitoring Cell of FC Division.

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक / एफ 5–09 / 2007 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 6/08/2024

प्रति,

डी.आई.जी. (एफ.सी.)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन,
जोर बाग अलीगंज रोड़
नई दिल्ली –110003।

विषयः– Proposal for dropping the application of diversion of additional 4.20 ha. (in additional to already diverted 123.56 ha as a part of 502.00 ha) for surface use of forest land for Rajnagar OCP Coal Mining Project in favour of M/s SECL in Manendragarh Forest Division of Korea district of Chhattisgarh.

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-145/2006-FC, दिनांक 26.11.2008।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / खनिज / 331–97 / 1450, दिनांक 18.06.2024।

******

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1, दिनांक 26.11.2008 के माध्यम से सशर्त प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय की गई है।

2/– आवेदक संस्थान एस.ई.सी.एल. के अनुरोध पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 2, दिनांक 18.06.2024 के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी सशर्त प्रथम चरण स्वीकृति को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

3/– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 2, दिनांक 18.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयांकित प्रकरण में प्रदाय की गई अनुमति को निरस्तीकरण की अनुशंसा पत्र के साथ आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार (10 पृष्ठ)

(मयंक पाण्डेय) 6/8/24
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक / एफ 5–09 / 2007 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /08/2024

प्रतिलिपि :–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

D/FCA/ Latter-N/Lalit

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर 19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–97/1450 रायपुर, दिनांक 18/06/2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर

विषय: – **Proposal for dropping the application of diversion of 4.20 Ha. (in addition to already diverted 123.56 Ha. a part of 502.00 Ha.) for surface use of forest land for Rajnagar OCP coal mining project in favour of M/s SECL in Manendragarh forest division of Koria district of Chhattisgarh State : Ist Stage (in Principle) approval by Govt. of India, MoEF, New Delhi.**
पंजीयन क्रमांक/ SAR/KRE/MNG/2006/056

संदर्भ: 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/ एफ नं. / 8–145/ 2006– एफ.सी. दिनांक 26.11.2008

2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा. चि./ न. क्र.–24/ 2024/ 1389 दिनांक 27.05.2024

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भ पत्र- 1 के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 26.11.2008 द्वारा प्रथम चरण (सैद्धांतिक) स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त के संदर्भ पत्र –2 के प्रतिवेदन अनुसार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत मनेन्द्रगढ़ वन मंडल अंतर्गत राजनगर खुली खदान परियोजना अंतर्गत 4.20 हे. के प्रकरण में आवेदक संस्थान, मुख्य महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र के आवेदन दिनांक 03.08.2023 द्वारा प्रकरण निरस्त करने हेतु वन मंडल कार्यालय को लेख किया गया है तदुपरांत वन मंडलाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ वन मंडल द्वारा आवेदित क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया गया है जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खनन/निर्माण कार्य नहीं पाये जाने का लेख करते हुए अनुशंसा सहित प्रकरण में जारी प्रथम चरण (सैद्धांतिक) स्वीकृति को निरस्तीकरण हेतु प्रेषित किया गया है।

अतः मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर से अनुशंसा सहित प्राप्त निरस्तीकरण प्रस्ताव से सहमत होते हुए प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 26.11.2008 द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति को निरस्त करने हेतु शासन स्तर से भारत सरकार, नई दिल्ली को लेख किये जाने का अनुरोध है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/खनिज/331–97/1451 रायपुर, दिनांक 18/06/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
- वन मंडलाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ वन मंडल, मनेन्द्रगढ़
- मुख्य महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र झगराखाण्ड, मनेन्द्रगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

242

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर
प्रतापपुर रोड, अम्बिकापुर

Ph.No. :- (O)07774- 240544, (R) 240019, (F) 240682 E_Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

क्रमांक / मा.चि. / न.क्र.–24 / 2024 / 1389 अम्बिकापुर, दिनांक 27/8/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध)
छ0ग0 नवा रायपुर

विषय :– **Proposal for dropping the application of diversion of 4.20 Ha. (In addition to already diverted 123.56 Ha. a part of 502.00 ha.) for Surface use of forest land for Rajnagar OCP coal mining project in favour of M/s. SECL in Manendragarh forest division of Korea District of Chhattisgarh State: Ist Stage (in Principal) approval by Govt. of India, MoEF, New delhi.**
पंजीयन क्र. / SAR/KRE/MNG/2006/056

संदर्भ :–
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर का पत्र क्र. / भू–प्रबंध / खनिज / 331–97 / 2726 दिनांक 11.12.2023
2. वनमण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल का पत्र क्रमांक / त.अ. / 2024 / 497 दिनांक 01.03.2024

—00—

उल्लेख है कि आपके संदर्भित पत्र–1 के माध्यम से एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र में स्थित राजनगर खुली खदान परियोजना के अन्तर्गत 4.200 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु प्रक्रियाधीन प्रस्ताव / आवेदन को निरस्त करने हेतु आवेदित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किये जाने के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के परिपालन में प्रकरण में आवेदित क्षेत्र का स्थल निरीक्षण उपरान्त वनमण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल के संदर्भित पत्र–2 द्वारा प्रकरण में राजनगर ओपेन कास्ट हेतु आवेदित क्षेत्र में उपरी सतह पर किसी भी प्रकार का खनन् / निर्माण कार्य नहीं पाये जाने का लेख कर प्रकरण में प्राप्त पंजीयन को निरस्त करने हेतु निरस्तीकरण प्रस्ताव इस कार्यालय को अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में वनमण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल के संदर्भित पत्र–2 मय सहपत्र (निरस्तीकरण प्रस्ताव) की प्रति अनुशंसा सहित संलग्न कर अनुरोध है कि प्रकरण में प्राप्त पंजीयन क्रमांक / **SAR/KRE/MNG/2006/056** को निरस्त करने की कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :– संदर्भित पत्र–2 मय सहपत्र।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

पृ0क्र0 / मा.चि. / न.क्र.–24 / 2024 / 1390 अम्बिकापुर, दिनांक 27/8/2024

प्रतिलिपि :–

1. **वनमण्डलाधिकारी,मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल मनेन्द्रगढ़** की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. **मुख्य महाप्रबंधक,** एस.ई.सी.एल. हंसदेव क्षेत्र झगराखाण्ड मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़
आवक क्र. 2192
दिनांक 29/05/24

D:\DM Section\memo\24-letter RajNagar SECL 04.doc

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ (छत्तीसगढ़)
E-mail :- divisionmanendragarh@rediffmail.com, Ph. 07771-241349, Fax 243731

क्रमांक/त.अ./2024/497 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 1/03/2024

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वन वृत्त
अम्बिकापुर (छ.ग.)

विषय :- **Proposal for dropping the application of diversion of 4.20 Ha. (In addition to already diverted 123.56 Ha. a part of 502.00 Ha.) for Surface use of forest land for Rajnagar OCP coal mining project in favour of M/s. SECL in Manendragarh forest division of Koria district of Chhattisgarh State: Ist Stage (in Principle) approval by Govt. of India, MoEF, New Delhi.** पंजीयन क्र. **: SAR/KRE/MNG/2006/056**

संदर्भ :- 1. अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/खनिज/331-97/2726 रायपुर, दिनांक 11.12.2023

2. कार्यालयीन पत्र कमांक/त.अ./2023/2066 मनेन्द्रगढ़ दिनांक 04.08.2023

---00---

विषयांतर्गत निवेदन है कि अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/खनिज/331-97/2726 रायपुर, दिनांक 11.12.2023 के द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्राप्त हुआ है कि- **"एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र में स्थित राजनगर खुली खदान परियोजना के अंतर्गत 4.200 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु प्रकियाधिन प्रस्ताव/आवेदन को निरस्त करने हेतु आवेदित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किये जाने के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।"**

इस संबंध दिनांक 10.02.2024 को वन विभाग की ओर से वनमण्डलाधिकारी, उपवनमण्डलाधिकारी, संलग्नाधिकारी, तकनीकी अधिकारी, वनपरिक्षेत्राधिकारी एवं वन कर्मचारी, एस.ई.सी.एल. की ओर से एरिया मैनेजर हल्दीबाड़ी, सर्वेयर हल्दीबाड़ी, सुरक्षा अधिकारी हल्दीबाड़ी, पैनल इन्चार्ज हल्दीबाड़ी, चैन मेन हल्दीबाड़ी एवं अन्य कर्मचारी के साथ एस.ई.सी.एल. हल्दीबाड़ी के अन्दर जाकर प्रस्तावित स्थल राजनगर ओपन काष्ट की दिशा की ओर कम्पास की मदद् से अंतिम छोर तक जाया गया जिसमें यह पाया गया कि हल्दीबाड़ी के स्वीकृत रकबा के अन्दर ही खनन् पाया गया। राजनगर ओपन काष्ट की ओर खनन् नहीं पाया गया।

प्रस्तावित प्रस्ताव राजनगर ओपन काष्ट में ऊपरी सतह पर किसी भी प्रकार का खनन्/निर्माण कार्य नहीं पाया गया किन्तु आम जनता के द्वारा उक्त क्षेत्र में अतिक्रमण करना पाया गया

अतः हसदेव क्षेत्र स्थित राजनगर खुली खदान परियोजना के अंतर्गत 4.200 हेक्टे. वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु प्रकीयाधीन प्रस्ताव/आवेदन को निरस्त करने की अनुशंसा की जाती है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल,मनेन्द्रगढ़

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर
(छत्तीसगढ़)

f:\dm\memo\latter 2022.doc

पृष्ठा.क्रमांक / त.अ. / 2024 / 498 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 1 /03/ 2024

प्रतिलिपि :-

1. अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध / व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र झगराखाण्ड मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल,मनेन्द्रगढ़

कार्यालय उपवनमण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़, उपवनमण्डल मनेन्द्रगढ़,
जिला:- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, (छ.ग.)

क्रमांक/शि.लि./2024/162 मनेन्द्रगढ़, दिनॉक 27/02/2024

प्रति

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल मनेन्द्रगढ़

विषय :– proposal for dropping the application fa diversion of 4.20 Ha. (In addition to already diverted 123.56 Ha. A part of 502 .00 Ha.) for Surface use of forest land for Rajnagar OCP coal minig project in favour of M/s SECL in Manendragarh forest division of Koria district of Chhattisgarh State: Ist stage (in principle) Approval by Govt. of India, MoEF, New Delhi. पंजीयन क्र. : SAR/KRE/MNG/2006/056

संदर्भ :– वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल मनेन्द्रगढ़ का पत्र क्रमॉक/त.अ./2023/6775 मनेन्द्रगढ़, दिनॉक 07.12.2024

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, संदर्भित पत्र के माध्यम से मुख्य महाप्रबंधक हसदेव क्षेत्र झगराखाण्ड़ मनेन्द्रगढ़ का पत्र क्रमॉक SECL/AGM (HSD)/Forest/2023-24/62 Date 03-08-2023 के द्वारा हसदेव क्षेत्र स्थित राजनगर खुली खदान परियोजना के अंतर्गत 4.200 हे. वन भूमि के व्ययवर्तन हेतु प्रक्रियाधीन प्राप्त प्रस्ताव/आवेदन को निस्त करने हेतु लेख किये जाने सम्बन्ध में प्रतिवेदन है, कि दिनॉक 10.02.2024 को वनमण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ द्वारा गठित निरीक्षण दल द्वारा एस.ई.सी.एल. के अधिकारी कर्मचारी के साथ एस.ई.सी.एल. राजनगर ओ.सी.पी. 4.200 हे. का संयुक्त निरीक्षण किया गया। आवेदक/संस्थान द्वारा उक्त क्षेत्र में किसी प्रकार का उत्खनन कार्य किया जाना नहीं पाया गया है किन्तु उक्त क्षेत्र में आम जनता के द्वारा अतिक्रमण कर कच्चा घर, पक्का मकान व ईट भट्ठा संचालित होना पाया गया है। इस संबंध में मौका पंचनामा संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार स्थल जॉच प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मनेन्द्रगढ़

वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल मनेन्द्रगढ़
आ. क्र. 1074
दिनांक 01/03/24

उपवनमण्डलाधिकारी उपवनमण्डल मनेन्द्रगढ़ 01/03/2024

पंचनामा

आज दिनांक 10/02/2024 को श्रीमान वनमंडलाधिकारी महोदय, उपवनमंडलाधिकारी [illegible] के.एस. कंवर, वनपरिक्षेत्राधिकारी डी.के. पटेल, [illegible] अधिकारी रामराज सिंह, वन परिक्षेत्राधिकारी [illegible] व विभाग के [illegible] एवं SECL के अधिकारी कर्मचारियों के साथ SECL [illegible] हल्दीबाड़ी (205.00) का स्थान के अन्दर जाकर निरीक्षण किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार द्वारा आवंटन स्वीकृति के पालन का निरीक्षण किया गया साथ ही SECL [illegible] के [illegible] साथ जाकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में SECL के द्वारा [illegible] क्षेत्र की भूमि में किसी भी प्रकार का [illegible] [illegible] नहीं पाया गया, परन्तु आम जनता द्वारा अतिक्रमण पाया गया।

1. श्री [illegible] पटेल (वनमंडलाधिकारी मनेन्द्रगढ़)
2. श्री के.एस. कंवर (उपवनमंडलाधिकारी [illegible])
3. श्री डी.के. पटेल (वनपरिक्षेत्राधिकारी मनेन्द्रगढ़)
4. श्री रामराज सिंह ([illegible] अधिकारी म.गढ़)
5. श्री आर.एस. [illegible] (वन परिक्षेत्राधिकारी म.गढ़)
6. श्री नवीन सिंह (सर्वेयर SECL हल्दीबाड़ी)
7. श्री [illegible] सिंह ([illegible] अधि० —)
8. श्री [illegible] ([illegible] —)
9. श्री [illegible] ([illegible] —)
10. श्री [illegible] [illegible]
11. श्री [illegible] (ग्राम [illegible])
12. श्री [illegible]
13. श्री [illegible] (ग्राम [illegible])
14. श्री [illegible] (ग्राम [illegible])
15. श्री [illegible] सिंह (ग्राम [illegible])

10.2.2024

10/2/24

10/2/24

10/2/24

10/2/24

F. No. 8-145/2006-FC
Government of India
Ministry of Environment & Forests
(FC Division)

Paryavaran Bhawan, C.G.O Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110510.
Dated: 22[th] November 2008

To

The Principal Secretary (Forests),
Government of Chhattisgarh,
Raipur.

Sub: Diversion of additional 4.20 ha (in additional to already diverted 123.56 ha as a part of 502.00 ha) for surface use of forest land for Rajnagar OCP Coal Mining Project in favour of M/s SECL in Manendragarh Forest Division of Korea district of Chhattisgarh.

Sir,

I am directed to refer to the State Government's letter No. 11 / Bhu-prabandh / Khanij / 628 dated 20.03.2008 on the subject mentioned above seeking prior approval of the Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, and to say that the proposal has been examined by the Forest Advisory Committee constituted by the Central Government under Section-3 of the said Act.

After careful examination of the proposal of the State Government, and on the basis of the recommendations of the Forest Advisory Committee, in-principle approval of the Central Government is hereby granted for diversion of additional 4.20 ha (in additional to already diverted 123.56 ha as a part of 502.00 ha) for surface use of forest land for Rajnagar OCP Coal Mining Project in favour of M/s SECL in Manendragarh Forest Division of Korea district of Chhattisgarh subject to fulfillment of the following conditions:

1. Compensatory Afforestation shall be raised and maintained over non-forest land equal in extent to the forest land proposed to be diverted (i.e. over 4.20 ha). The User Agency shall transfer the cost of Compensatory Afforestation and its maintenance to the State Forest Department.

2. The State Government shall immediately transfer and mutate the non-forest land identified for Compensatory Afforestation, in favour of the State Forest Department.

3. The non-forest land identified for raising Compensatory Afforestation shall be notified as Reserved Forest under Section - 4 / Protected Forest under Section 29, of the Indian Forest act, 1927, by the State Government immediately.

4. The State Government shall charge the Net Present Value of the forest area diverted under this proposal from the User Agency, **if not already done,** as per the Orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002 and 01.08.2003 and 04.08.2006 and **28.03.2008** in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by this Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18.09.2003 and 22.09.2003 in this regard.

5. At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional NPV, if so determined as per the final decision of Hon'ble Supreme Court of India.

6. All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in account number CA 1591 of Corporation Bank, Block-11, CGO Complex, Phase-1, Lodhi Road, New Delhi - 110 003.

7. The User Agency shall create, fence and maintain a proper safety zone around the mining area. The User Agency shall deposit funds with the Forest Department for the creation, protection and regeneration of the safety zone area, and also shall bear the cost of afforestation over one and a half time of the safety zone area in degraded forest elsewhere.

8. The period of lease shall be for a period of 20 years as per MMRD Act 1956.

9. The user agency shall fence, raise and maintain plantations of suitable tree species on the surface area of the mine.

10. No damage shall be caused to the top-soil and the surface area of the mine. If any damage to the top soil and the surface are of the mine is reported, than the User Agency shall raise and maintain Compensatory Afforestation and Penal Compensatory Afforestation as may be stipulated under rules.

11. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.

12. All other conditions stipulated by the State Government of Chhattisgarh at the time of submission of the proposal shall be complied with by the user agency.

13. Other Standard conditions as applicable to proposals related to underground mining / surface rights shall also be applicable in the instant case.

After receipt of the compliance report on the fulfillment of the above conditions from the State Government, formal approval will be issued in this regard under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980.

Yours faithfully,

(C.D. Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forest, Chhattisgarh for information.
2. The Nodal Officer (FCA), Office of the PCCF, Chhattisgarh for information.
3. The Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office, Bhopal.
4. The User Agency for information.
5. Monitoring Cell.
6. Guard File.

(C.D. Singh)
Sr. Assistant Inspector General of Forests

Issued 28/11/08

"Under Jurisdiction of Bilaspur Court Only"

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
SOUTH EASTERN COALFIELDS LTD.
SEEPAT ROAD, Post Box No. - 60
BILASPUR-495006(CG)
"A MINI RATNA COMPANY"

कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, हसदेव क्षेत्र
OFFICE OF THE AREA GENERAL MANAGER
HASDEO AREA
P.O. : South Jhagrakhand
Distt. : MCB (Chhattishgarh) 497448
Ph.n. : 7771243035

Ref: No. SECL/AGM(HSD) /Forest/2023-24/ 62 Date 3-8-2023

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,

वनमंडल – मनेन्द्रगढ़

जिला – कोरिया (छ०ग०)

विषय :- Proposal for dropping the application of diversion of 4.20 Ha. (In addition to already diverted 123.56 Ha. a part of 502.00 Ha.) for surface use of forest land for Rajnagar OCP coal mining project in favour of M/s. SECL in Manendragarh forest division of Koria district of Chhattisgarh state: Ist stage (in principle) approval by Govt. of India, MoEF, New Delhi. पंजियन क० : SAR/KRE/MNG/2006/056

संदर्भ : क० /भू–प्रबंध/खनिज/331–39/1493(20.06.2023)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत के संबंध में हसदेव क्षेत्र स्थित राजनगर खुली खदान परियोजना के अन्तर्गत 4.200 हे० वन भूमि के व्यवर्तन हेतु प्रक्रीयाधीन प्रस्ताव/आवेदन को निरस्त किये जाने के संदर्भ में निवेदन करना चाहुंगा। इस परिपेक्ष्य में बिन्दुवार जानकारी निम्नवत् है :-

- यह कि राजनगर खुली खदान परियोजना की स्वीकृति वर्ष 1975 में हुई एवं कोयले का उत्पादन वर्ष 1979 से प्रारंभ हुआ। कोयला उत्खनन के दौरान जब खदान परियोजना के उत्तर–पूर्व (North-East) दिशा की ओर अग्रसर हुआ तो खान प्रबंधन को यह सज्ञांन में आया कि उस दिशा में एक छोटा सा भाग राजस्व वन भूमि भी प्रोजक्ट एरिया में समावेशित है, जिसका क्षेत्रफल 4.200 हे० है।
- उक्त राजस्व वनभूमि की जानकारी खान प्रबंधन को होने के उपरांत राजस्व वनभूमि का व्यपवर्तन वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत खुली खन्न पद्धति के माध्यम से कोयले का उत्खन्न करने का प्रस्ताव मय आवश्यक दस्तावेज के साथ नियमानुसार आवेदन किया गया एवं भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली से दिनांक 26.11.2008 को प्रथम चरण की स्वीकृति का आदेश प्रासारित किया गया।
- आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण के समस्त शर्तो के पालन प्रतिवेदन मय अभिलेख सहित वन विभाग को प्रस्तुत किया गया तदोपरान्त दिनांक 23.10.2010 को APCCF (LM) Raipur द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली को अनुशंसा सहित प्रस्ताव अग्रेषित किया गया। तत्पश्चात आवेदक संस्थान को अवगत कराया गया की उक्त प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली में Trace नहीं हो पा रही है इसलिए प्रस्ताव की Shadow file प्रस्तुत करें। आदेशानुसार आवेदक संस्थान द्वारा दिनांक 27.03.2017 को पुनः प्रस्ताव का Shadow File प्रस्तुत किया गया ।
- इस संदर्भ में यह भी लेख करना आवश्यक होगा कि उपरोक्त समयावधि के मध्य परियोजना में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 4.200 हे० को छोड़कर उत्खन्न का कार्य कर लिया गया।

क्रमशः

(1)

190

"Under Jurisdiction of Bilaspur Court Only"

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
SOUTH EASTERN COALFIELDS LTD.
SEEPAT ROAD, Post Box No. - 60
BILASPUR-495006(CG)
"MINI RATNA COMPANY"

कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, हसदेव क्षेत्र
OFFICE OF THE AREA GENERAL MANAGER
HASDEO AREA
P.O. : South Jhagrakhand
Distt. : MCB (Chhattishgarh) 497448
Ph.n. : 7771243035

Ref: No. SECL/AGM(HSD) /Forest/2023-24/ Date

- दिनांक 20.04.2014 को राजनगर खुली खदान परियोजना के संशोधित परियोजना प्रतिवेदन (Revised mine plan) (RPR) के अनुमोदन पश्चात खान प्रबंधन द्वारा उक्त पैच रकबा 4.200 हे0 को (RPR) के वनक्षेत्र 132.509 हे0 के साथ उत्खनन करने का योजना बनाया गया, संशोधित परियोजना प्रतिवेदन (RPR) में शामिल रकबा 132.509 हे0 वनक्षेत्र के प्रस्ताव में भालू विचरण गलियारा /कोरिडोर होने के कारण वन विभाग द्वारा अनुशंसा नहीं किया गया।

- चूँकि विषयांकित राजस्व वनक्षेत्र मात्र 4.200 हे0 है, अतः इस भू -भाग में पृथक से कोयला उत्खनन का कार्य तकनीकि एवं आर्थिक दृष्टिकोण से संभव नही है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत यह निवेदन है कि विषयांकित राजस्व वनभूमि 4.200 हे0 के व्यवर्तन का प्रस्ताव को निरस्त करने की अनुशंसा वरिष्ठ कार्यालय को करते हुए संस्थान द्वारा जमा की गई NPV राशि को SECL के अन्य परियोजना में समावेशित करने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय महाप्रबंधक
हसदेव क्षेत्र

प्रतिलिपि :-
1. महाप्रबंधक (वन एवं पर्यावरण), एसईसीएल बिलासपुर
2. उपमहाप्रबंधक / उपक्षेत्रीय प्रबंधक, राजनगर ओसीपी
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी, हसदेव क्षेत्र